>

Title: Need to implement pension schemes for Old Age Widows and handicapped person.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने के लिए परमीशन और समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिआ अदा करता हूं।

आप सभी जानते हैं पूरे देश में जो ओल्ड ऐज के बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो हमारी विधवा बहने हैं, इन तीनों को मैं देख रहा हूं कि ये मुसीबत में हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड ऐज पेंशन, विडो पेंशन और इसके साथ ही हैंडीकैप्ड पेंशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। लोगों को फार्म भरे हुए पांच साल हो चुके हैं, लेकिन कोई सिंगल केस भी मेरी स्टेट में किसी का सैंक्शन नहीं हुआ। वह कहते हैं कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, तब हम इनकी पेंशन शुरू करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुजुर्ग आदमी जब जवान होता है, तो जवानी के दिनों में चाहे मजदूर हो या किसान हो, अपनी मेहनत से रोजी-रोटी कमा लेता है। जो इंप्लाई होता है, जब वह नौकरी से रिटायर होता है, तब उसे पेंशन मिलती है। लेकिन जब वह बुजुर्ग बनता है, गरीब आदमी, जो मजदूर होता है, जब उसकी बारी आती है, तो उसे कोई पेंशन नहीं मिलती है, कोई रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं होता है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बार नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी बुजुर्ग हो, कोई विडो हो, कोई हैंडीकैप हो, देश के हर नागरिक के लिए बीपीएल या किसी किस्म की बार नहीं होनी चाहिए। जो पेंशन लेना चाहता है, उसे पेंशन मिले। बुजुर्गों की बहुत बुरी हालत है। उनके बच्चे उन्हें पूछते तक नहीं हैं, इसलिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। इसलिए मेरी जनाब से रिक्वैस्ट है कि इस चीज को गवर्नमेंट नोटिस करे और इनके लिए ख्याल करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :

Shri Virendra Kumar is allowed to associate with the matter raised by Chaudhary Lal Singh.